

विश्राम कक्ष अध्यक्ष वित्तीय समिति / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विगत दिनों हुई बारिस में जनपद न्यायालय परिसर स्थित मुख्य भवन के पोर्टिको के सामने स्थित दो अदद जामुन के पेड़ मुख्य भवन की तरफ झुक गये हैं। उक्त दोनों पेड़ जरा सी आंधी तूफान या बारिश से बिल्डिंग में गिर सकते हैं, जिनके गिरने से शासकीय सम्पत्ति के छति होने की प्रबल सम्भावना है, की वित्तीय समिति की देखरेख में दिनांक 19.02.2024 दिन सोमवार को समय 02.00 बजे अपरान्ह से न्यायालय परिसर में नीलामी कराई जायेगी। नीलामी से सम्बन्धित सूचना— [ecourts.gov.in/fatehpur](http://ecourts.gov.in/fatehpur) से प्राप्त की जा सकती है। नीलामी हेतु पेड़ों का विवरण निम्न है:—

क्र.सं	प्रजाति	गोलाई मी० में	व्यास श्रेणी	दशा	मूल्यांकन धनराशि
1	जामुन	1.25	30–40	हरा खडा अयोग्य	666.66/-
2	जामुन	1.21	30–40	हरा खडा अयोग्य	666.66/-
					योग:— 1333.32/-

नीलामी शर्त

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, फतेहपुर द्वारा उपरोक्त वृक्ष का मूल्यांकन ही प्रथम बोली होगी तथा अधिकतम बोली जनपद न्यायाधीश, द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर स्वीकृत की जायेगी। नीलामी में सम्मिलित बोली बोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ₹ 0 500.00 बोली बोलने से पहले काशन मनी के रूप में जमा करनी होगी। नीलामी की स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि बोलीदार द्वारा तुरन्त जमा की जायेगी। उपरोक्त संरक्षण अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त समस्त वृक्षों के कटान के लिये पातन अनुज्ञा शुल्क ₹ 0 100 प्रति वृक्ष दिया जाना आवश्यक है। बोलीदार द्वारा उक्त वर्णित वृक्ष के प्रकाष्ठ के अभिवहन के लिये प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग के कार्यालय से अभिवहन पास लेना अनिवार्य होगा।

अध्यक्ष,  
वित्तीय समिति/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
जनपद न्यायालय, फतेहपुर।

नोटिस की प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रचार हेतु प्रेषित हों।

- 1— जिला सूचनाधिकारी, फतेहपुर।
- 2— नाजिर कलेक्टर, फतेहपुर।
- 3— नाजिर विकास भवन, फतेहपुर।
- 4— नाजिर सदर तहसील, फतेहपुर।
- 5— सम्पादक कर्मयुग प्रकाश निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
- 6— सम्पादक न्यूज वाणी निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
- 7— सम्पादक कानपुर उजाला निःशुल्क प्रकाशन हेतु
- 8— सम्पादक दोआबा वार्ता निःशुल्क प्रकाशन हेतु
- 9— प्रभारी अधिकारी, अमीन, फतेहपुर।
- 10— प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, फतेहपुर।
- 11— शहर में स्थित लकड़ियों का कार्य करने वाले ठेकेदार।
- 12— सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा हेतु।
- 13— कम्प्यूटर अनुभाग, इण्टरनेट पर विज्ञप्ति हेतु, फतेहपुर।

(A)  
१५/२/२०२५  
अध्यक्ष,